Western Ethics

1) नीतिशास्त्रीय संज्ञानवाद तथा असंज्ञानवाद Ethical Cognitivism and Non-cognitivism

→ संज्ञानवाद के अनुसार 'नैतिक निर्णय' तथ्यात्मक निर्णयों की भांति किसी विषय-वस्तु अथवा गुण का बोध कराते हैं। अर्थात् नैतिक निर्णय वस्तुनिष्ठ होते हैं।

प्रकृतिवाद
अप्रकृतिवाद
अन्तःप्रज्ञावाद } सभी इसी श्रेणी में आते हैं।

→ असंज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार 'नैतिक निर्णय' निर्णयकर्ता के भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। अन्य व्यक्तियों में उन भावनाओं को उत्पन्न करते हैं।

→ प्रकृतिवादी - नैतिक निर्णय प्राकृतिक नियमों के आधार पर की व्याख्या करती है। जो अनिवार्यतः निरीक्षण एवं इन्द्रियानुभव होते हैं। उदाहरण - (ह्यूम), (स्पेन्सर) आदि हैं।

→ अप्रकृतिवादी - सिद्धांत के अनुसार 'नैतिक निर्णय' में अप्राकृतिक गुणों अथवा संबंधों का ज्ञान इन्द्रियजन्य अनुभव या तर्कबुद्धि द्वारा नहीं।

क्योंकि अन्तःप्रज्ञा के द्वारा होता है।
इस मत के समर्थक - (मूर), (ब्रॉड) आदि।

→ संवेगवाद के अनुसार 'नैतिक निर्णय' का मुख्य उद्देश्य निर्णयकर्ता के भावनाओं अथवा संवेगों को अभिव्यक्त करना तथा दूसरों के भावनाओं को उत्प्रेरित करना है।

→ अतः नैतिक निर्णय भावनात्मक/संवेगात्मक होते हैं।
समर्थक - (एयर), (स्टीवेन्सन) आदि।

→ परामर्शवाद - के अनुसार 'नैतिक निर्णय' वक्ता/कर्ता तथा दूसरों को कोई कर्म करने या न करने का परामर्श अथवा निर्देश देता है। इसके समर्थक हैं - (हेयर), ([illegible]) आदि।

→ प्रकृतिदोष — मूर (प्रिंसिपिया एथिका) पुस्तक में उल्लिखित है।

(2) नीतिशास्त्रीय वस्तुवाद तथा अन्तःप्रज्ञावाद — Realism and intuitionism

→ मूर नैतिक निर्णयों के अर्थ स्वरूप अथवा प्रमाणीकरण के विषय में लौकिक अन्तःप्रज्ञावादी विचार से प्रभावित हुए हैं।

→ मूर नैतिक निर्णयों को गणित के निर्णयों की भांति 'पूर्णतः लौकिक' अपरिवर्तनशील तथा परिणाम निरपेक्ष मानते हैं।

→ मूर का मानना है कि शुभ प्रधान निरुपाधि गुण का साक्षात्कार करता है उसका साक्षात् ज्ञान हमें केवल अन्तःप्रज्ञावाद के द्वारा ही होता है।

→ मूर ने शुभ को अपरिभाष्य कहा है क्योंकि यह अविश्लेष्य सरल गुण है जिसका ~~अथवा~~ साक्षात् बिना ज्ञान केवल अन्तःप्रज्ञा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।

अन्तःप्रज्ञावाद → अन्तःप्रज्ञावाद के अनुसार 'अन्तःप्रज्ञा' ही शुभ-अशुभ तथा उचित-अनुचित के साक्षात् ~~अथवा~~ ज्ञान के आधार हैं।

→ बुद्धि के द्वारा शुभ-अशुभ का / सत् / यथार्थ को नहीं जाना जा सकता है।

→ इस मत के प्रमुख समर्थक 'बटलर' हैं।

→ अन्तःप्रज्ञावाद के अनुसार कर्म के नैतिक गुण कर्म में ही अन्तर्भूत रहते हैं।

→ इस सिद्धांत के अनुसार नैतिक अवधारणाएँ मौलिक, अनुपम, वस्तुनिष्ठ, अनुभव-निरपेक्ष होते हैं।

→ इस सिद्धांत के समर्थक — शुक्रात, प्लेटो, बटलर, कांट तथा भारतीय चिंतकों में डा. राधाकृष्णन, गांधी आदि हैं।

(3) कांट का नैतिक सिद्धांत Kant's moral theory

→ कान्ट के नैतिक सिद्धांत को
- बुद्धिवाद
- कठोरतावाद
- नैतिक विशुद्धतावाद
- आकारवाद

आदि नामों से पुकारा जाता है।

* कांट के अनुसार बुद्धि के आदेश ही नैतिक नियम हैं।

→ जो कर्म बुद्धि के आदेश के अनुकूल है उचित है अन्यथा अनुचित

→ नैतिक गुण आत्मगत न होकर वस्तुगत होता है।

→ नैतिक गुण अनिवार्य, सामान्य, तथा अनुभवनिरपेक्ष है।

* कांट के नीतिसूत्र — (3)

कांट के तीन नीतिसूत्र हैं —

सार्वभौमिकता का नियम — (i) केवल उसी सिद्धांत के अनुसार कार्य करो जिसकी इच्छा आप उसी समय सार्वभौम नियम बन जाने की कर सकते हैं।

मनुष्यता को साध्य मानने का नियम — (ii) ऐसा कर्म करो कि मानवता चाहे आपके अंदर हो, चाहे दूसरों के अंदर, सदैव साध्य बने रहे, साधन नहीं।

साध्यों के राज्य का नियम — (iii) साध्यों के साम्राज्य के सदस्य के रूप में कार्य करें।

* कांट के हिसाब से किसी कर्म का नैतिक मूल्य उसके परिणामों द्वारा निर्धारित नहीं अपितु विशुद्ध कर्तव्य चेतना द्वारा निर्धारित होता है।

→ नैतिक नियम परिणाम पर नहीं — कर्तव्य चेतना आधारित

"कर्तव्य कर्तव्य के लिए"

* 'शुद्ध बुद्धि की परीक्षा' में कांट नैतिकता की पूर्वमान्यताएँ —

(i) संकल्प स्वतंत्रता
(ii) आत्मा की अमरता
(iii) ईश्वर की सत्ता
} तीनों को स्वीकार करके

* 'व्यावहारिक बुद्धि की परीक्षा' में बुद्धि के आदेश को नैतिक नियम मानते हैं।